हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—12/2026—लेज शिमला—2 *6 मई, 2026*

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को दिंनाक 06—05—2026 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2026 के अध्यादेश संख्यांक 1 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

(डॉ0 विवेक ज्योति)
अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए ।

2026 का अध्यादेश संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 है।

धारा 122 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 में,—

"(क) उप—धारा (1) के खण्ड (ड.) के स्पष्टीकरण में, "पुत्र" शब्द के पश्चात् ", पुत्र—वधु" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण में, "पुत्र" शब्द के पश्चात् ", पुत्र–वधु" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।"।

(कविन्दर गुप्ता)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(डॉ० विवेक ज्योति)
अतिरिक्त सचिव (विधि)

शिमलाः

तारीखः 6 मई, 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE NO. 1 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title. 1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2026.

Amendment of section 122.

2. In section 122 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994,-

(a) in sub-section (1), in the Explanation to clause (e), after the word “son”, the signs and words “, daughter-in-law” shall be inserted.

(b) in sub-section(2), in the Explanation to clause (d), after the word “son”, the signs and words “, daughter-in-law” shall be inserted.”

(KAVINDER GUPTA)
Governor, Himachal Pradesh

(DR. VIVEK JYOTI)
Addl. Secretary (Law)

SHIMLA:
THE 6th May, 2026